जे.पी.आर.5– 857

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – **se_comml@yahoo.in**

क्र0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / एफ. / प्रे0 2950 जयपुर, दिनांक– 28/3/17

संशोधन–आदेश

विषयः– **मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जांच के संबंध में।**

पूर्व में मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जांच के संबंध में जारी आदेश क्र0 जेपीडी / अधी.अ.(वा.) / सी– I / एफ. / प्रे0 2586 जयपुर, दिनांक–20.02.2017 (जेपीआर 5–838) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच की साधारणतया आवश्यकता नही है। कई उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने पर फ्लैट रेट के अनुसार बिलिंग की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कृषि श्रेणी उपभोक्ता (मीटर अथवा फ्लैट रेट) की बिलिंग फ्लैट रेट श्रेणी के अन्तर्गत की जा रही है, यह निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता के कनेक्शन के भार की जाँच की जावें एवं उपभोक्ता को एक माह का नोटिस देकर उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उत्तर मिलने के पश्चात् या 30 दिन बाद ही भार बढ़ाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

जिन मीटर एंव फ्लैट रेट श्रेणी के उपभोक्ताओं की जाँच किये बिना अथवा उपभोक्ता के आवेदन किये बिना ही बढे हुये भार की बिलिंग की जा रही है। ऐसे प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जावें। विवाद की स्थिति में समझौता समिति के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR